न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 03 / 2021

गोविन्द प्रसाद पुत्र चरनसिंह जाति कलवार निवासी कस्बा कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. सुखवीरसिंह
2. हरवीरसिंह
3. सरनामसिंह
4. सुग्रीवसिंह

पुत्रान परमाल जाति जाट निवासी करऊआ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

5. हरदेवी पुत्री वीरीसिंह पत्नि अचलसिंह जाति जाट निवासी करऊआ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरूद्व वर्षा मीना उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर व वमुकदमा गोविन्द प्रसाद बनाम सुखवीरसिंह आदि मुकदमा नम्बर 01 / 2020

निर्णय

दिनांकः 15.02.2022

यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी व खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर वर्षा मीना पेश किया गया है। प्रार्थी का कथन संक्षेप इस प्रकार हैं कि एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज0 लेण्ड रेवन्यू एक्ट का उनवानी गोविन्द प्रसाद बनाम सुखवीरसिंह वगै0 मुकदमा नम्बर 01 / 2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर में विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी वर्षा मीना से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का कथन है कि वह पूर्व सैनिक है तथा वरिष्ठ नागरिक है एवं कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। प्रार्थी पूर्व सैनिक होने के कारण आराजी खसरा नम्बर 194 रकबा 3 बीघा मिन वाके ग्राम करऊआ तहसील कुम्हेर आवंटन हुआ था तथा आवंटन के बाद कब्जा मौके पर दे दिया गया एवं राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी गैर खातेदार दर्ज था। आराजी खसरा नम्बर 194 रकबा 8 बीघा का था जिसके भू प्रबन्ध विभाग ने हाल खसरा नम्बरान 365 / 1.35, 366 / 0.65, 369, 442 / 0.85, 438 / 0.60 वाके ग्राम करऊआ बनाये एवं 1.12 हैक्टेयर पर अधिक गैर प्रार्थीयान को क्षेत्राधिकार से बाहर खातेदारी दे दी और प्रार्थी को साविक खसरा नम्बर 194 मिन रकबा 3 बीघा का नई माप में 48 ऐयर रकबा पर खातेदारी देनी चाहिए थी जो कि हाल खसरा नम्बर 365 में आता है, परन्तु खातेदारी नही दी। प्रार्थी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी. एक्ट का प्रकरण संख्या 178 / 2002 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर में दायर किया गया जिसका निर्णय दिनांक 31.03.2004 को प्रार्थी का दावा खारिज कर प्रार्थी को धारा 136 राज0लेण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत अलग से कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्रता दी। प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर में 136 राज0लेण्ड रेवन्यू एक्ट के प्रार्थना पत्र दायर किया जो कि उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.07.2010 को निरस्त कर दिया। जिसकी अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर मे दायर की जो दिनांक 10.08.2011 को स्वीकार हुई तथा उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को आदेश दिये कि तहसीलदार कुम्हेर से मौका रिपोर्ट एवं साविक एवं हाल मिलान रिपोर्ट पुन लेकर रिकार्ड की नकल तलब लेकर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तार्किक एवं न्यायसंगत तीन माह में निर्णय पारित करे। अप्रार्थीगण ने न्यायालय संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 10.08.2011 के विरूद्व रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको न्यायालय द्वारा दिनांक 15.7.2017 को निरस्त किया । जिसकी अप्रार्थीगण ने अपील मान0राजस्व मण्डल राजस्थान में की जो दिनांक 13.03.2018 को खारिज हुई । अप्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर में एक प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति इस आशय का पेश किया कि मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का कब्जा नही है, इस कारण धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबिल नही है। उपखण्ड

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अधिकारी कुम्हेर ने उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र को दिनांक 12.7.2019 को खारिज किया। जिसके विरूद्व गैर प्रार्थीयान ने पुनः मान0 राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी दायर की जिसको दिनांक 13.03.2020 को राजस्व मण्डल ने खारिज कर दिया।

प्रार्थी को अभी तक उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र में न्याय नही मिला है तथा अप्रार्थीगण एक लगायत चार कुम्हेर के असरदार व धनवान व्यक्ति होने के कारण राजनैतिक प्रभाव रखने के कारण पूर्व उपखण्ड अधिकारी से न्याय नही मिल सका और राजनैतिक दबाव के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र का निर्णय नही किया गया है दिनांक 7.10.2020 को भी अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने पत्रावली बहस हेतु नियत होने पर भी बहस नही । अप्रार्थीगण ने दिनांक 14.1.2021 को कुम्हेर में धमकी दी है कि उन्होने वर्षा मीना उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से स्थानीय राजनेताओ से उनके हक में निर्णय करने की सिफरिश करा दी है तथा धमकी दी है वह प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को हर हालत में खारिज कराकर रहेगें। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से न्याय मिलने की कोई आशा नही है। कुम्हेर में अप्रार्थीगण का राजनैतिक प्रभाव पीठासीन अधिकारी के ऊपर होने के कारण प्रार्थी के प्रकरण में कोई कार्यवाही नही की जा रही है और न्याय मिलने की उम्मीद नही है। अन्त में अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रकरण को किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया है कि एक वाद 136 एल.आर.एक्ट. का विचाराधीन है जो कि बहस स्तर पर विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी पर लगाये गये आरोप निराधार है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में राजनैतिक दबाब बनाने व कोई धमकी नही दी है। प्रकरण न्यायालय में कानूनी कार्यवाही विचाराधीन है। यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो निराधार व सारहीन है। वकील अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को खारिज करने का अपनी बहस में निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर करते हुए उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से प्राप्त टिप्पणी पर मनन किया। स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 136 एल.आर.एक्ट मु0न0 01/2020 उनवानी गोविन्द प्रसाद बनाम सुखवीर वगै0 में विचाराधीन है। इसके अलावा प्रार्थी ने अपने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के विरूद्व लगाये गये आरोपों के सबंध में कोई ठोस साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किये गये है और ना

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

ही अपनी बहस में आरोपों को सिद्ध कर सके है। इस प्रकार से कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत नही किया है जिससे आधार स्पष्ट हो सके। अतः प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आज्ञा है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर